उपखण्ड अधिकारी धोद मु० सीकर

पूर्वा उर्फ पूर्णमल बनाम छोटूराम आदि

2021RTA (28/2021)

05/05 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। पत्रावली वास्ते जवाब। तलबी दि० 16/06 को पेश हो।

16/06 पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ का कार्य स्थगित है। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 31/07/25 को पेश हो।

31/07 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। पत्रावली वास्ते जवाब। तलबी दि० 21/08 को पेश हो।

21/08 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं व उप०। वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं को बार-बार आवाज लगवाई गई। उम्र के बावजूद न्यायालय समय में सायंकाल तक भी वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं में से कोई भी उपस्थित नहीं होने पर पत्रावली इसी स्टेज पर अदम पैरवी। अदम हाजिरी में खारिज कर जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.22 15:13:24 IST
Reason: SelfAttested